

78/19

आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 21.08.19 को पेश हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा)

77/20

आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 21.08.20 को पेश हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा)

78/20

आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 14.12.20 को पेश हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा)

14/12/20

पत्रावली पेश हुई। मुकदमा परिचय उपस्थित। तहसीलदार इबड़ा से रिपोर्ट ली गई। शुभानिक रिपोर्ट प्रमाण मूक शकल अधिनियम 1957 के धारा 166 के तहत होने से तहसीलदार इबड़ा द्वारा शुद्धी पत्र से फालती भर फालती रिपोर्ट लिखवायी गई है जो शां. नि. भी गई है। प्रमाणों में कल्प कोई कार्य वाद्य अपेक्षित नहीं होने से कार्य बंदी इसी स्तर पर ड्रॉप की जाती है। पत्रावली के अलावा शुभानिक इबड़ा दायित्व दफ्तर है।

उपखण्ड अधिकारी छबड़ा जिला बारा (राज.)

